FORM NO – 111
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

प्रार्थी/परिवादी	**बनाम**	**प्रतिवादी/अभियुक्त**
श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधि. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. सिरोही		पवन कुमार अग्रवाल पुत्र महावीर प्रसाद जाति–अग्रवाल, निवासीं–सदर बाजार, अनादरा, तहसील–रेवदर, जिला– सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)
	फर्म:	बनवारीलाल महावीर प्रसाद, सदर बाजार, अनादरा, तह. रेवदर, जिला–सिरोही

किस्म मुकदमा – धारा 26(2)(ii) एवं 52
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 **प्रकरण संख्या: 14 /2021**

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
17.2.2021	श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं 52 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त पवन कुमार अग्रवाल के विरुद्ध दिनांक 16.2.2021 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा जिलें में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णय आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण में आज दिनांक 17.2.2021 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी पवन कुमार अग्रवाल पुत्र महावीर प्रसाद अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– सदर बाजार, अनादरा, तह. रेवदर, जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, बनवारीलाल महावीर प्रसाद, सदर बाजार, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही उपस्थित हुये। प्रतिवादी पवन कुमार अग्रवाल को नोटिस पढ़कर सुनाया गया एवं न्याय निर्णय आवेदन पत्र की एक प्रति दिलवाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी पवन कुमार अग्रवाल ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29.10.2020 को जिस किस ... ब्राण्ड का नमूना जांच हेतु लिया ... पाया गया है। जिस किसमिस का नमूना जांच हेतु लिया था वह नेनुराम ट्रेडर्स डीसा से बिक्री हेतु लिया था उसका बिल भी नमूना लेते समय मैंने प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन बिल में ब्राण्ड का नाम अंकित नही होने के कारण फर्म नेनूराम लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:35 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.14/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कौतामिल में जारी हुए

ट्रेडर्स ने हमें माल बिक्री करने से इन्कार किया है। मैं मेरी गलती/जुर्म स्वीकार करता हूँ। भविष्य में इस प्रकार के माल की बिक्री नही करुंगा। मैं एक छोटा दुकानदार हूँ। मुश्किल से गुजारा होता है, कृपया मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी पवन कुमार अग्रवाल द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर जुर्म/गलती स्वीकार कर ली जाने से प्रकरण में दोनों पक्षों की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ किसमीस रामू ब्राण्ड का विक्रय किया है, इसलिये प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 29.10.2020 को समय 11.00 ए.एम. पर फर्म बनवारीलाल महावीर प्रसाद, सदर बाजार, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता के हैसियत से प्रतिवादी पवन कुमार अग्रवाल पुत्र महावीर प्रसाद अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– सदर बाजार, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ किसमीस (रामू ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ किसमीस (रामू ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए दुकान के अन्दर गत्ते के डिब्बों में बिक्री हेतु मौजूद किसमीस (रामू ब्राण्ड) के 20 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 500 ग्राम) में से किसमीस (रामू ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 500 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष नियमानुसार कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ किसमीस (रामू ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1206 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./678/Act/2020/678 दिनांक 10.11.2020 के अनु[illegible] पाया गया हैं। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्[illegible]तिवादी ने खाद्य पदार्थ किसमीस के [illegible] का जो बिल आवेदक [illegible] अधिका[illegible] प्रस्तुत किया था

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:35 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.14/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

उसमें खाद्य पदार्थ किसमीस की ब्राण्ड का नाम अंकित नही है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी पवन कुमार अग्रवाल द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ किसमीस का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी पवन कुमार अग्रवाल पुत्र महावीर प्रसाद अग्रवाल, जाति– अग्रवाल, निवासी– सदर बाजार, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म बनवारीलाल महावीर प्रसाद, सदर बाजार, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हज़ार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त प्रतिवादी पवन कुमार अग्रवाल को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 03.3.2021 को पेश हो।

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:35 IST
Reason: SelfAttested